The Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2010

Act 19 of 2010

Keyword(s):
Municipal Corporation, Rain Water Harvesting System, Building, Rajasthan Municipalities, Municipality, Partly Repealed

Amendments appended: 2 of 2011, 29 of 2011, 12 of 2012, 13 of 2015

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

भाद्र 24, बुधवार, शाके 1932–सितम्बर 15, 2010
Bhadra 24, Wednesday, Saka 1932–September 15, 2010

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2010

संख्या प. 2 (28) विधि/2/2010.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः–

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 19)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्ः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह राज–पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 6 का संशोधन.–राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के विद्यमान उप–खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः–

"(ii) नगरपालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले, नगर निगम के मामले में छह व्यक्ति, नगर परिषद् के मामले में पांच व्यक्ति और नगरपालिक बोर्ड के मामले

में चार व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेः''।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 48 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 48 की विद्यमान उप–धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:–

''(1क) जहां नगरपालिका या इसकी समितियों में से किसी भी समिति का कोई भी संकल्प नगरपालिका के हितों के विरुद्ध हो या इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत हो तो वहां अध्यक्ष, ऐसे संकल्प पर अपनी राय अभिलिखित करेगा और उस मामले को राज्य सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसे संकल्प पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और उस नगरपालिका के लिए आबद्धकर होगा।''।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 238 का संशोधन.–मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 238 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''238. वर्षा जल संग्रहण का उपबंध.–(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 19) के प्रारंभ के पश्चात् नगरपालिक क्षेत्र में तीन सौ वर्ग मीटर से अधिक के भू–खण्ड पर संनिर्मित प्रत्येक भवन में, ऐसे प्रकार की और विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र और भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए विहित की जाये, स्थापित करना और ऐसी प्रणाली को सदैव चालू हालत में रखना अनिवार्य होगाः

परन्तु यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में भू–जल स्तर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसे क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करना उचित नहीं है तो वह, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को इस धारा के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(2) नगरपालिका धारा 194 के अधीन कोई भी अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगी जब तक कि अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति उस धारा के अधीन अपेक्षित नक्शों में उप–धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के लिए व्यवस्था नहीं करता और ऐसी प्रणाली स्थापित

करने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) धारा 194 या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप–धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि उप–धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली उस भवन में स्थापित कर ली गयी है और वह चालू हालत में है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी नगरपालिक क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल–संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी उप–धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई, जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'वर्षा जल संग्रहण प्रणाली' से, छत के ऊपर की संरचना और भूमिगत टंकी

को सम्मिलित करते हुए, या तो घरेलू उपयोग के लिए या भूमिगत जल का पुनर्भरण करने के प्रयोजन के लिए भूमि में अंतःस्रवण के लिए वर्षा जल एकत्र करने हेतु संनिर्मित या स्थापित कोई संरचना या साधित्र, या दोनों अभिप्रेत हैं।

5. धारा 238–क का अन्तःस्थापन.–मूल अधिनियम की यथापूर्वोक्त संशोधित धारा 238 के पश्चात्, और धारा 239 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"238–क. पार्किंग स्थान का उपबंध.–(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 19) के प्रारंभ के पश्चात् नगरपालिक क्षेत्र में संनिर्मित प्रत्येक भवन में ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये:

परन्तु राज्य सरकार, भूमि के क्षेत्रफल और भवन की स्थिति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी भवन या भवनों के वर्ग को इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) नगरपालिका, धारा 194 के अधीन कोई अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगी जब तक कि अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति, उस धारा के अधीन अपेक्षित नक्शों में उप–धारा (1) के अधीन यथाविहित पार्किंग स्थान के लिए व्यवस्था नहीं कर देता और ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) धारा 194 या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप–धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये

कि उप–धारा (1) के अधीन यथा विहित पार्किंग स्थान उस भवन में उपलब्ध करा दिया गया है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में नगरपालिक क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान की व्यवस्था अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल–संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी उप–धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।''।

कपिल भार्गव,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 15, 2010

No. F. 2 (28) Vidhi/2/2010.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (2010 Ka Adhiniyam Sankhyank 19) :–

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2010

(Act No. 19 of 2010)

[Received the assent of the Governor on the 13th day of September, 2010]

An

Act

to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(ii) six persons in case of Municipal Corporation, five persons in case of Municipal Council and four persons in case of Municipal Board, having special knowledge or experience in municipal administration,

to be nominated by the State Government by notification in the Official Gazette: ".

3. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-After the existing sub-section (1) of section 48 of the principal Act, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(1A) Where any resolution of a Municipality or of any of its committees is against the interest of the Municipality or inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Chairperson shall record his opinion on such resolution and refer the matter to the State Government for its decision and the decision of the State Government on such resolution shall be final and binding on the Municipality.".

4. Amendment of section 238, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 238 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**238. Provision of rain water harvesting.-**(1) In every building constructed on a plot of land exceeding three hundred square metres in municipal area after the commencement of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2010 (Act No. 19 of 2010), it shall be compulsory to install a rain water harvesting system of such type and specifications as may be prescribed by the State Government having regard to the area and use of the land and keep such system always in working condition:

Provided that if the State Government, having regard to the ground water level in a particular area, is of the opinion that installation of rain water harvesting system in such area is not appropriate, it may, by notification in the Official Gazette, exempt such area from the operation of the provisions of this section.

(2) The Municipality shall not grant any permission under section 194 unless the person seeking permission makes provision for rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) in the maps required under that section and undertakes to

install such system and furnishes security for the same to the satisfaction of the Municipality.

(3) Notwithstanding anything contained in section 194 or any other provision of this Act, every owner of the building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that a rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) has been installed in the building and is operational.

(5) Any development of land in a municipal area made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both.

Explanation.- For the purposes of this section, 'rain water harvesting system' means any structure or apparatus or both, including roof top structure and under ground tank,

constructed or installed to collect rain water either for domestic use or for percolation into earth for the purpose of recharging ground water.

5. Insertion of section 238-A.-After section 238, amended as aforesaid, and before section 239 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"238-A. Provision of parking space.- (1) In every building constructed in a municipal area after the commencement of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2010 (Act No. 19 of 2010), it shall be compulsory to provide such parking space as may be prescribed by the State Government:

Provided that the State Government may, having regard to the area of land and situation and use of building, exempt, by notification in the Official Gazette, any building or class of buildings from the provisions of this section.

(2) The Municipality shall not grant any permission under section 194 unless the person seeking permission makes provision for parking space as prescribed under sub-section (1) in the maps required under that section and undertakes to provide such parking space and furnishes security for the same to the satisfaction of the Municipality.

(3) Notwithstanding anything contained in section 194 or any other provision of this Act, every owner of the building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that parking space as prescribed under sub-section (1) has been provided in the building.

(5) Any development of land in a municipal area made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both.”.

कपिल भार्गव,

Principal Secretary to the Government.

10

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान राज–पत्र **विशेषांक**	**RAJASTHAN GAZETTE** Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

चैत्र 6, रविवार, शाके 1933–मार्च 27, 2011
Chaitra 6, Sunday, Saka 1933–March 27, 2011

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2011

संख्या प. 2 (17)/विधि/2/2011.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011
(2011 का अधिनियम संख्यांक 2)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 24 नवम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 37 का संशोधन.-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है**,** की धारा 37 की उप-धारा (1) में विद्‌यमान शब्द **"**प्रत्येक**"** के पश्चात् और

विद्यमान शब्द "सदस्य" के पूर्व अभिव्यक्ति "अध्यक्ष और" अन्तःस्थापित की जायेगी और विद्यमान अभिव्यक्ति "कलक्टर या इस प्रयोजन के लिए उसके नामनिर्देशिती" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य सरकार द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 53 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**53. अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.-**(1) किसी नगरपालिका के प्रत्येक अध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जायेगा, यदि उसे, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाये, उस नगरपालिक क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक के बहुमत से गुप्त मतदान के माध्यम से वापस बुलाया जाता है:

परन्तु वापस बुलाये जाने की ऐसी कोई भी प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जायेगी जब तक कि प्रस्ताव पर, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के तीन चौथाई से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर न कर दिये जायें और संबंधित कलक्टर को प्रस्तुत न कर दिया जाये:

परन्तु यह और कि किसी अध्यक्ष के विरुद्ध -

(i) अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण के दो वर्ष के भीतर-भीतर;

(ii) किसी उप-चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि की आधी कालावधि यदि समाप्त न हुई हो तो

ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा:

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने के लिए प्रक्रिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार आरंभ की जायेगी।

(2) कलक्टर, यथासंभव शीघ्रता के साथ किन्तु सात दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर अपना यह समाधान कर लेने और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के तीन चौथाई सदस्यों ने वापस बुलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, नगरपालिका की एक बैठक, जो चौदह दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर बुलाई जायेगी, के लिए एक तारीख नियत करेगा, जिसकी

अध्यक्षता कलक्टर द्वारा नामनिर्देशित अपर कलक्टर की पंक्ति से अनिम्न के किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(3) यदि उस बैठक में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला संकल्प नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से विहित रीति से पारित हो जाये और राज्य सरकार को संसूचित कर दिया जाये तो राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश करेगी।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग, उक्त निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाये जाने के प्रस्ताव पर मतदान के लिए, ऐसी रीति से व्यवस्था करेगा जो विहित की जाये।

(5) उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव, विहित रीति से किया और उस पर विचार किया जायेगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस, किसी उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर-भीतर नहीं दिया जायेगा।

(7) यदि उप-धारा (5) के अधीन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो उसी उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस उस बैठक, जिसमें ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया था, की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जायेगा।"।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 73 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (1) में**,** विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न "।", के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

> "परन्तु यह और कि जहां कोई नगरपालिका विहित समूह आवासन या नगरी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए किसी नगरपालिक भूमि को पट्टे पर देती है**,** विक्रय करती है**,** आबंटित करती है या अन्यथा अन्तरित करती है तो ऐसा पट्टा**,** विक्रय**,** आबंटन या अन्तरण इस शर्त के अध्यधीन किया जायेगा कि ऐसी परियोजनाओं में भू-खण्डों या आवासन इकाइयों का कम से कम बीस प्रतिशत ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और

निम्न आय समूह को कीमतों की पारस्परिक सहायता देकर ऐसी रियायती दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायें, आबंटित किये जायेंगे।"।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 87 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तथापि, अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने के पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।" हटायी जायेगी।

6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 88 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 88 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**88. नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी.**-(1) नगरपालिका बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और प्रत्येक वर्ष फरवरी के पन्द्रहवें दिवस तक, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी और उसकी एक प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और यदि बजट प्राक्कलनों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो वह परिवर्तन करने के लिए नगरपालिका को निदेश दे सकेगी और ऐसे निदेश नगरपालिका पर बाध्यकारी होंगे।

(2) जहां कोई नगरपालिका उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार बजट प्राक्कलन पारित करने में विफल रहती है तो बजट प्राक्कलन तैयार करना और उस वर्ष की फरवरी के अट्ठाइसवें दिवस को या उसके पूर्व उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना मुख्य नगरपालिक अधिकारी के लिए आज्ञापक होगा। राज्य सरकार बजट प्राक्कलनों को उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगी और उन्हें नगरपालिका द्वारा पारित किया हुआ समझा जायेगा।

(3) नगरपालिक निधियों में से किसी व्यय के संबंध में कोई कार्य-आदेश या मंजूरी, अनुमोदित बजट में समुचित उपबंध के बिना, ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार से विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, के सिवाय न तो अनुमोदित की जायेगी और न ही जारी की जायेगी। किसी भी उल्लंघन के मामले में अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिक अधिकारी या ऐसे कार्य-आदेश या मंजूरी जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी ऐसे व्यय के लिए संयुक्ततः और पृथकत: उत्तरदायी होंगे और वह उनसे वसूलीय होगा।"।

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 89-क का अंतःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 89 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी**,** अर्थात्:-

"89-क. नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन.- (1) प्रत्येक नगरपालिका**,** नगरपालिका के भीतर गन्दी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगी**,** जिसे इस धारा में आगे **"**निधि**"** के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) ऐसा प्रतिशत, जो किसी नगरपालिका के वार्षिक बजट अनुदानों के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, नगरपालिका के भीतर गन्दी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए चिह्नित होगा और अनन्य रूप से उसी के लिए उपयोग में लिया जायेगा और ऐसी कोई रकम जो चालू वर्ष में अप्रयुक्त रह जाती है व्यपगत नहीं होगी और निधि में जमा की जायेगी और आगामी वर्ष में उस वर्ष के बजट अनुदानों के अतिरिक्त उपयोग में लिये जाने के लिए उपलब्ध होगी।

(3) निधि में निम्नलिखित नगरपालिक बजट संसाधनों में से आबंटन किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) नगरपालिका के स्वयं के राजस्व स्रोत, जैसे कि कर, फीस, उपयोक्ता प्रभार, किराया इत्यादि;

(ख) समनुदेशित राजस्व;

(ग) केन्द्रीय या राज्य वित्त आयोगों से आबंटन और अन्य अन्तर-सरकारी अन्तरण;

(घ) गरीबों के लिए सेवाओं के लिए व्यष्टियों, संगठनों या अन्य दानदाताओं से नकद या वस्तुओं में अभिदाय या दान;

(ङ) बाह्य रूप से सहायताप्राप्त परियोजनाओं से अनुदान;

(च) नगरपालिक आस्तियों का विक्रय; और

(छ) अन्य स्रोत जो नगरपालिका द्वारा अवधारित किये जायें।

(4) निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये पृथक् बैंक खाते में रखी जायेगी जिसे 'नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि' के नाम से जाना जायेगा।

(5) निधि-लेखों के प्रचालन के लिए राष्ट्रीय नगरपालिक लेखा निर्देशिका के अनुसार विस्तृत लेखा शीर्षों सहित लेखों की पृथक् प्राथमिक पुस्तकें संधारित की जायेंगी।

(6) नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निधियों के आबंटन और इसके उपयोग का ब्यौरा रखा जायेगा और पूर्व वर्ष के तत्संबंधी आकड़ों के साथ वार्षिक नगरपालिक बजट के साथ संलग्न किया जायेगा।

(7) इस धारा में यथा उपबन्धित के सिवाय, नगरपालिक निधि के प्रचालन और उसके लेखा और लेखापरीक्षा से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस धारा के अधीन गठित निधि पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए -

(i) नगरपालिका द्वारा प्राप्त ऐसा कोई भी अनुदान या अभिदाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, जो अनन्य रूप से गन्दी बस्तियों के क्षेत्रों के विकास के लिए है, उपर्युक्त चिह्नित निधियों का भाग नहीं होगा; और

(ii) 'आधारभूत सेवाओं' में जलप्रदाय, जल-निकास, मलवहन, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, सड़कों को जोड़ना, मार्गों में प्रकाश, सावर्जनिक उद्यान और खेल के मैदान, सामुदायिक और जीविका केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा केन्द्र और निर्धनों के लिए सामर्थ्य के अनुरूप आवासन और नगरपालिका द्वारा यथा अवधारित अन्य सेवाओं पर प्रत्यक्षतः उपगत पूंजी और राजस्व खाते पर व्यय सम्मिलित होगा किन्तु इसमें ऐसे वेतन और मजदूरी, जो गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं देने के लिए प्रत्यक्षतः और विनिर्दिष्टतः उपगत न हुई हो, सहित स्थापन व्यय सम्मिलित नहीं होंगे।''।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 102 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 102 की उप-धारा (1) में**,-**

(क) खण्ड (क) में, विद्यमान शब्द ''भवनों'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ''पर कर'' के पूर्व अभिव्यक्ति '',चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाये,'' अंतःस्थापित की जायेगी; और

(ख) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''नगरपालिका के स्वामित्व वाली या उसकी निधियों से निर्मित'' हटायी जायेगी।

9. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 103 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 103 की उप-धारा (1) के खण्ड (**ix**) में**,** विद्यमान अभिव्यक्ति **"**आधे प्रतिशत**"** के स्थान पर अभिव्यक्ति **"**दस प्रतिशत**"** प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 122 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 122 में**,-**

(क) विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) आवेदक ने उससे इस प्रकार दावाकृत रकम का पच्चीस प्रतिशत नगरपालिक कार्यालय में जमा न करा दिया हो"; और

(ख) विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

11. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 161 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 161 में**,** विद्यमान शब्द **"**नगरपालिका**"** के स्थान पर अभिव्यक्ति **"**राज्य सरकार**"** प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 282 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 282 की उप-धारा (1) में**,-**

(क) खण्ड (द) में, विद्यमान शब्द "या" हटाया जायेगा;

(ख) खण्ड (ध) में, विद्यमान विराम चिन्ह "," के पश्चात् शब्द "या" जोड़ा जायेगा; और

(ग) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (न) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(न) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित कोई भी अन्य क्रियाकलाप,"।

13. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 331 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 331 हटायी जायेगी।

14. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 01) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऎसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या किये गये समस्त आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2011

No. F. 2 (17) Vidhi/2/2011.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 2) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2011

(Act No. 2 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011]

An

Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 24th November, 2010.

2. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-In sub-section (1) of section 37 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing word "Every" and before the existing word "member", the expression "Chairperson and" shall be inserted and for the existing expression "the Collector or

his nominee", the expression "an officer authorised by the State Government by a general or special order" shall be substituted.

3. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 53 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**53. Recalling of Chairperson and motion of no confidence against Vice-Chairperson**.- (1) Every Chairperson of a Municipality shall forthwith be deemed to have vacated his office if he is recalled through a secret ballot by a majority of more than half of the total number of voters of the Municipal area casting the vote in accordance with the procedure as may be prescribed:

Provided that no such process of recall shall be initiated unless a proposal is signed by not less than three-fourth of the total number of the elected Members and presented to the Collector concerned:

Provided further that no such motion shall lie against a Chairperson-

(i) within two years of the assumption of office by the Chairperson;

(ii) if half of the period of tenure of the Chairperson elected in a by-election has not expired:

Provided also that process for recall of the Chairperson shall be initiated once in his whole term.

(2) The Collector shall, after satisfying himself and verifying as expeditiously as possible but within a period of seven days that the three-fourth of the Members specified in sub-section (1) have signed the proposal of recall, fix a date for a meeting of the Municipality to be held within a period of fourteen days, which shall be presided over by an officer not below the rank of an Additional Collector nominated by him.

(3) If a resolution expressing no confidence in the Chairperson is passed in that meeting, in the prescribed manner, by a majority of three-fourth of the elected Members of the Municipality and communicated to the State Government, the State Government shall make a reference to the State Election Commission.

(4) On receipt of the said reference, the State Election Commission shall arrange for voting on the proposal of recall in such manner as may be prescribed.

(5) Motion expressing no confidence in the Vice-Chairperson shall be made and considered in the prescribed manner.

(6) No notice of motion under sub-section (5) shall be made within two years of the assumption of office by a Vice-Chairperson.

(7) If a motion under sub-section (5) is not carried, no notice of a subsequent motion expressing no confidence in the same Vice-Chairperson shall be made until after the expiration of two years from the date of the meeting in which the motion was considered.".

4. Amendment of section 73, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 73 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of the existing proviso, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that where a Municipality leases out, sells, allots or otherwise transfers any municipal land for carrying out prescribed group housing or township projects, such lease, sale, allotment or transfer shall be made subject to the condition that at least twenty per cent of plots or housing units in such projects shall be allotted to the persons belonging to such Economically Weaker Section and Low Income Group at such concessional rates

through cross subsidization of prices as may be notified by the State Government.".

5. Amendment of section 87, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 87 of the principal Act, the existing expression "However, before submission to the Municipality for approval, the financial estimates shall be approved by the Finance Committee." shall be deleted.

6. Amendment of section 88, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 88 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**88. Sanction of budget estimate of Municipality.- (**1) The Municipality shall consider the budget estimate and shall, by the fifteenth day of February in each year, adopt the budget estimate for the ensuing year with such changes as it may consider necessary, and submit a copy of the same to the State Government through the Director of Local Bodies and if, after considering the budget estimates, the State Government is of the opinion that it is necessary in the interest of Municipality to make changes in budget estimates, it may direct the Municipality to carry out the changes and such directions shall be binding on the Municipality.

(2) Where a Municipality fails to pass the budget estimates according to the provisions of sub-section (1), it shall be mandatory for the Chief Municipal Officer to prepare the budget estimates and submit the same on or before twenty eighth day of February of that year to the State Government. The State Government shall approve the budget estimates with or without modifications and the same shall be deemed to have been passed by the Municipality.

(3) Any work order or sanction regarding any expenditure out of the Municipal Funds shall neither be approved nor be issued in the absence of proper provision in the approved budget, except in cases where a specific

approval has been obtained from the State Government. In case of any violation the Chairperson, the Chief Municipal Officer or any other officer authorised to issue such work order or sanction shall be jointly and severally responsible for such expenditure and the same shall be recoverable from them.".

7. Insertion of section 89-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After section 89 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**89-A. Constitution of Basic Services to the Urban Poor Fund.-** (1) Every Municipality shall constitute a fund called the Basic Services to the Urban Poor Fund, hereinafter in this section referred as 'the fund', for the purpose of providing basic services to the urban poor including the inhabitants of slum areas within the Municipality.

(2) Such per cent, not being less than twenty five per cent, of yearly budget grants of a Municipality as may be prescribed by the State Government shall be earmarked and used exclusively for the purpose of providing basic services to the urban poor including the inhabitants of slum areas within the Municipality and any amount which remains unutilized in the current year shall not lapse and be credited to the fund and shall be available to be utilized in next year in addition to the budget grants of that year.

(3) The allocation to the fund shall be made from the following municipal budget resources, namely:-

(a) Municipality's own sources of revenue like taxes, fees, user charges, rent, etc.;

(b) assigned revenues;

(c) allocations from Central or State Finance Commissions and other inter-governmental transfers;

(d) contributions, in cash or kind, or gifts from individuals, organizations or other donors for services to the poor;

(e) grants from externally aided projects;

(f) sale of municipal assets; and

(g) other sources as determined by the Municipality.

(4) The fund shall be kept in a separate bank account opened with a nationalized bank to be called 'Basic Services to Urban Poor Fund' account.

(5) There shall be maintained separate primary books of accounts with detailed accounting heads in line with the National Municipal Accounting Manual for operation of the fund accounts.

(6) The allocation of the funds and its utilization for providing basic services to the urban poor shall be detailed and enclosed with the municipal annual budget alongwith corresponding figures of the previous year.

(7) Save as provided in this section, provisions of this Act relating to operation of Municipal Fund and accounts and audit thereof shall apply *mutatis mutandis* to the fund constituted under this section.

Explanation.- For the purpose of this section-

(i) any grant or contribution by whatever name called, received by the Municipality which is exclusively for the development of slum areas shall not be a part of the above earmarked funds; and

(ii) 'basic services' shall include expenditure on capital and revenue account directly incurred on water supply, drainage, sewerage, construction of community toilets, solid waste management, connecting roads, street lighting, public parks

and play grounds, community and livelihood centers, community health centers, pre-primary and primary education centers, affordable housing for poor and other services as determined by the Municipality but shall not include establishment expenses, including salary and wages, nor directly and specifically incurred for delivery of basic services to the poor.".

8. Amendment of section 102, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 102 of the principal Act,-

(a) in clause (a) after the existing word "buildings" and before the existing word "situated", the expression "called by whatever name" shall be inserted; and

(b) in clause (c), the existing expression "owned by, or built from the funds of, the Municipality" shall be deleted.

9. Amendment of section 103, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (ix) of sub-section (1) of section 103 of the principal Act, for the existing expression "half per cent", the expression "ten per cent " shall be substituted.

10. Amendment of section 122, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In section 122 of the principal Act,-

(a) for the existing clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) twenty five per cent of the amount so claimed from the applicant has been deposited by him in the municipal office."; and

(b) the existing proviso shall be deleted.

11. Amendment of section 161, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In section 161 of the principal Act, for the existing word "Municipality", the expression "State Government" shall be substituted.

12. Amendment of section 282, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (1) of section 282 of the principal Act,-

(a) in clause (r), the existing word "or" shall be deleted;

(b) in clause (s), after the existing punctuation mark "," the word "or" shall be added; and

(c) after clause (s), so amended, the following new clause (t) shall be added, namely :-

"(t) any other activity prescribed by the State Government from time to time,".

13. Amendment of section 331, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- The existing section 331 of the principal Act shall be deleted.

14. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 01 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

सत्य देव टाक,
Principal Secretary to the Government.

16
Government Central Press, Jaipur.

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 31, गुरुवार, शाके 1933–सितम्बर 22, 2011 *Bhadra 31, Thursday, Saka 1933–September 22, 2011*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2011

संख्या प. 2(33) विधि/2/2011:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः–

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011
(2011 का अधिनियम संख्यांक 29)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह अधिनियम, धारा 3 से 10 के सिवाय, जो 31 मार्च, 2011 को और से प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है**,** की धारा 2 के खण्ड (**xiii**) के उप-खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति

"मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (9) के खण्ड (vii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अध्यक्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नगरपालिका" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 94 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य सरकार के अनुरोध पर," हटायी जायेगी।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 99-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम में, विद्यमान धारा 99 के पश्चात् और विद्यमान धारा 100 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"99-क. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा.- (1) नगरपालिकाओं के लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 56) के उपबंधों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को नगरपालिक लेखाओं की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण भी न्यस्त करेगी।

(3) राज्य सरकार, उप-धारा (2) में यथानिर्दिष्ट तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट को राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगी।" ।

6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 182 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 182 की उप-धारा (3) के खण्ड (vii)

में, अंत में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न ";" के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(viii) भूमि के किसी भी विद्यमान अनुज्ञेय उपयोग से ऐसे किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार विहित करे:"।

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 194 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 194 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में, अंत में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति," के स्थान पर अभिव्यक्ति "; या" प्रतिस्थापित की जायेगी और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(ङ) किसी भूमि या भवन पर कोई टावर या इसी प्रकार की संरचना को निर्मित या पुनर्निर्मित करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति," ।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 332 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 332 की उप-धारा (3) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुक्त, या, यथास्थिति, कार्यपालक अधिकारी" हटायी जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "नगर निगम या नगर परिषद् या नगरपालिक बोर्ड के महापौर या सभापति या, यथास्थिति, अध्यक्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नगरपालिका" प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं.18 की धारा 333 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 333 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य नगरपालिक अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश सं. 02) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या

किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP- II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 22, 2011

No. F.2(33) Vidhi/2/2011.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Dvitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 29) : -

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2011
(Act No.29 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 21st day of September, 2011]

An

Act

Further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty- second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Second Amendment) Act, 2011.

(2) This Act shall come into force at once except sections 3 to 10 which shall be deemed to have come into force on and from 31st March, 2011.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-clause (a) of clause (xiii) of section 2 of the

Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 9 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the existing expression "Chief Executive Officer-cum-Commissioner" shall be substituted by expression "Chief Executive Officer and Commissioner".

3. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (vii) of sub- section (9) of section 49 of the principal Act, for the existing expression " the Chairperson", the expression " the Municipality" shall be substituted.

4. Amendment of section 94, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (2) of section 94 of the principal Act, the existing expression ", on the request of the State Government" shall be deleted.

5. Insertion of new section 99-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In the principal Act, after the existing section 99 and before the existing section 100, the following new section shall be inserted, namely:-

"**99- A. Audit by Comptroller and Auditor General of India.- (1)** The accounts of the Municipalities shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India in accordance with the provisions of the Comptroller and Auditor General' s (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (Central Act No. 56 of 1971).

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government shall also entrust the Comptroller and Auditor General of India with the technical guidance and supervision over the audit of the municipal accounts.

(3) The State Government shall cause the audit report under the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954) along with Annual Technical Inspection report of the Comptroller and Auditor General of India on the technical guidance and supervision as referred to in sub- section (2) to be laid before the State Legislature".

6. Amendment of section 182, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (vii) of sub- section (3) of section 182 of the principal Act, for the existing Punctuation mark ":", appearing at

the end, the expression "; or" shall be substituted and thereafter the following new clause shall be added, namely:-

"(viii) from any existing permissible use of land to any other purposes, as the State Government may prescribe:".

7. Amendment of section 194, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In clause (d) of sub- section (1) of section 194 of the principal Act, for the existing punctuation mark ",", appearing at the end, the expression "; or" shall be substituted and thereafter the following new clause shall be added, namely:-

"(e) to erect or re-erect any tower or similar structure on a land or building,".

8. Amendment of section 332, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub- section (3) of section 332 of the principal Act,-

(i) the existing expression ", Commissioner or an Executive Officer, as the case may be," shall be deleted; and

(ii) for the existing expression "Mayor or President or Chairperson of the Municipal Corporation or Municipal Council or Municipal Board, as the case may be,", the expression "Municipality" shall be substituted.

9. Amendment of section 333, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub- section (2) of section 333 of the principal Act, for the existing expression "Chief Executive Officer", the expression "Chief Municipal Officer" shall be Substituted.

10. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2011 (Ordinance No. 02 of 2011) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
वैशाख 12, बुधवार, शाके 1934–मई 2, 2012 *Vaisakha 12, Wednesday, Saka 1934–May 2, 2012*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 2, 2012

संख्या प. 2 (18) विधि/2/2012.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रेल, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 12)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रेल, 2012 को प्राप्त हुई)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 90-क का संशोधन.-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 90-क की विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"(6) जहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में चाही गयी हो, वहां अनुज्ञा केवल तब ही प्रदान की जायेगी जब वांछित गैर-कृषिक प्रयोजन उस क्षेत्र में लागू विधि के अनुसार अनुज्ञेय हो और उस क्षेत्र में प्रवृत्त मास्टर योजना या किसी अन्य विकास योजना या स्कीम, उसका जो कोई भी नाम हो, यदि कोई हो, के अनुरूप हो।

(7) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, जब किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित किसी भूमि के संबंध में इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने वाला कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश की तारीख को और से,-

(क) ऐसी भूमि पर, उस व्यक्ति के, जिसे इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी है, अभिधृति अधिकार निर्वापित हो जायेंगे; और

(ख) वह भूमि धारा 102-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी गयी समझी जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उप-विधियों के अनुसार किसी भी अनुज्ञेय गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी को उप-धारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों के संदाय के अध्यधीन रहते हुए, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जिसको इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी है या

ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों या अन्तरितियों को आबंटन के लिए उपलब्ध होगी।

(8) इस अधिनियम और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि किसी नगरीय क्षेत्र में या किसी नगरीय क्षेत्र की नगरयोग्य सीमाओं या उपांत पट्टी में, कृषि प्रयोजनों के लिए कोई भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने 17 जून, 1999 के पूर्व ऐसी भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया है या उपयोग किये जाने के लिए अनुज्ञात किया है या वह ऐसी भूमि या उसके भाग के तात्पर्यित गैर-कृषिक उपयोग के लिए विक्रय या विक्रय के करार के रूप में और/या मुख्तारनामा और/या वसीयत निष्पादित करके या किसी भी अन्य रीति से प्रतिफल के लिए कब्जे से अलग हो गया है, वहां उक्त भूमि या जोत या, यथास्थिति, उसके भाग में के ऐसे व्यक्ति के अधिकार और हित पर्यवर्सित किये जाने के दायी होंगे और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हित के पर्यवसान का आदेश देगा और तदुपरान्त उक्त भूमि समस्त भारग्रस्तताओं से मुक्त रूप में, राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और धारा 102-क के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी गयी समझी जायेगी और स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उप-विधियों के अनुसार, किसी अनुज्ञेय गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि या, यथास्थिति, उसके भाग पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को किसी आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा किये गये आबंटन या दिये गये पट्टे के आधार पर या उनको, या तो उस व्यक्ति द्वारा, जिसके अधिकार और हित इस उप-धारा के अधीन पर्यवसित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हों, या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विक्रय या विक्रय के करार या मुख्तारनामे या वसीयत या भूमि के अंतरण के लिए तात्पर्यित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर, उप-धारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या

प्रीमियम या दोनों के स्थानीय प्राधिकारी को संदाय के अध्यधीन रहते हुए, आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी:

परन्तु -

(i) इस उप-धारा की कोई भी बात देवता, देवस्थान विभाग, किसी लोक न्यास या किसी धार्मिक या पूर्त संस्था या वक्फ की किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी।

(ii) इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाहियां या आदेश ऐसी भूमियों के संबंध में आरम्भ नहीं की जायेंगी या नहीं किये जायेंगे जिनके लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम सं.33), राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं.11) और राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम सं.11) के उपबंधों के अधीन कार्यवाहियां लंबित हैं।

(9) इस धारा के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये कलक्टर की रैंक से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो यावत्साध्य, ऐसी अपील का, उसके प्रस्तुत किये जाने की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर निपटारा करेगा और यदि वह पूर्वोक्त कालावधि के भीतर-भीतर उस अपील का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा। इस उप-धारा के अधीन पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "स्थानीय प्राधिकारी" से, किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए गठित या पदाभिहित या उसके कार्य के लिए न्यस्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसमें राजस्थान नगर सुधार

अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) के अधीन गठित कोई नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के अधीन गठित जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) के अधीन गठित जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) के अधीन गठित कोई नगरपालिका सम्मिलित है;

(ख) "नगरीय क्षेत्र" से, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) की धारा 2 के खण्ड (8) में यथा परिभाषित जयपुर क्षेत्र, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की धारा 2 के खण्ड (8) में यथा परिभाषित जोधपुर क्षेत्र, या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (xxxix) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिक क्षेत्र या राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 3 के अधीन जारी किसी अधिसूचना में इस रूप में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई स्थानीय प्राधिकारी गठित या पदाभिहित किया गया हो, के अन्तर्गत आने वाला कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ग) "नगरयोग्य सीमाओं" से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार की गयी किसी शहर या नगर की मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना में उपदर्शित नगरीय सीमाएं और जहां कोई मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना नहीं है, वहां उस नगरपालिक क्षेत्र की बाहरी सीमाएं अभिप्रेत हैं;

(घ) "उपांत पट्टी" से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार की गयी किसी शहर या नगर की मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना में उपदर्शित उपांत पट्टी और जहां कोई मास्टर योजना या मास्टर विकास योजना नहीं है या जहां ऐसी योजना में उपांत पट्टी उपदर्शित नहीं की गयी है, वहां ऐसा क्षेत्र, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत है।"।

3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 90-ख का हटाया जाना.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 90-ख हटायी जायेगी।

अध्याय 3

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 में संशोधन

4. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 की धारा 54-ख का संशोधन.-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं.25) की धारा 54-ख की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, प्राधिकरण द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का प्राधिकरण को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"।

अध्याय 4

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 में संशोधन

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 49 का संशोधन.- जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का

अधिनियम सं.2) की धारा 49 में विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, प्राधिकरण द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का प्राधिकरण को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"।

अध्याय 5

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में संशोधन

6. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 60 का संशोधन.-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 60 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन न्यास के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, उक्त न्यास द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का न्यास को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"।

अध्याय 6

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 71 का संशोधन.-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का

अधिनियम सं. 18), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 71 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, उक्त नगरपालिका द्वारा उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा में विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का नगरपालिका को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।"।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 337 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 337 की उप-धारा (2) का विद्यमान खण्ड (xviii) हटाया जायेगा।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, May 2, 2012

No. F. 2 (18) Vidhi/2/2012.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan

Vidhiyan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (2012 Ka Adhiniyam Sankhyank 12):–

(Authorized English Translation)

THE RAJASTHAN LAWS (AMENDMENT) ACT, 2012

(Act No. 12 of 2012)

(Received the assent of the Governor on the 30th day of April, 2012)

An

Act

further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 and the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

Preliminary

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Laws (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

CHAPTER-II

Amendments in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

2. Amendment of section 90-A, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- After the existing sub-section (5) of section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following new sub-sections shall be added, namely:-

"(6) Where permission under this section is sought with respect to a land situated in an urban area, the permission shall be granted only if the desired non-agricultural purpose is permissible in accordance with the law applicable in that area and is in consonance with the

master plan or any other development plan or scheme, by whatever name called, in force, if any, in that area.

(7) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, when an order granting permission under this section is passed with respect to a land situated in an urban area, on and from the date of such order,-

(a) tenancy rights over such land of the person to whom permission under this section is granted shall stand extinguished; and

(b) the land shall be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment to the person to whom permission is granted under this section, or to the successors, assignees or transferees of such person, by the local authority for any permissible non-agricultural purposes in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section (4).

(8) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) where before 17th June, 1999 any person, holding any land for agricultural purposes in an urban area or within the urbanisable limits or peripheral belt of an urban area, has used or has allowed to be used such land or part thereof for non-agricultural purposes or, has parted with possession of such land or part thereof for consideration by way of sale or agreement to sell and/ or by executing power of attorney and/or Will or in any other

manner for purported non-agricultural use, the rights and interest of such person in the said land or holding or part thereof, as the case may be, shall be liable to be terminated and the officer authorized by the State Government in this behalf, shall, after affording an opportunity of being heard to such person and recording reasons in writing for doing so, order for termination of his rights and interest in such land and thereupon the land shall vest in the State Government free from all encumbrances and be deemed to have been placed at the disposal of the local authority under section 102-A and shall be available for allotment or regularization by the local authority for any permissible non-agricultural purposes in accordance with the rules, regulations or bye-laws made under the law applicable to the local authority to the persons having possession over such land or part thereof, as the case may be, on the basis of allotment made, or Patta given, by a Housing Co-operative Society or on the basis of any document of sale or agreement to sell or power of attorney or a Will or any other document purporting transfer of land to them either by the person whose rights and interests have been ordered to be terminated under this sub-section or by any other person claiming through such person, subject to the payment to the local authority of urban assessment or premium or both leviable and recoverable under sub-section (4):

Provided that-

(i) nothing in this sub-section shall apply to any land belonging to deity, Devasthan Department, any public trust or any religious or charitable institution or a wakf;

(ii) no proceedings or orders under this sub-section shall be initiated or made in respect of lands for which proceedings under the

provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No. 33 of 1976), the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973) and the Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owners Estate Act, 1963 (Act No. 11 of 1964) are pending.

(9) Any person aggrieved by an order of an officer or authority made under this section may appeal within thirty days from the date of such order to such officer not below the rank of Collector as may be authorized by the State Government in this behalf, who shall, as far as practicable, disposed of such appeal within a period of sixty days from the date of its presentation and if he is unable to dispose of the appeal within the aforesaid period, he shall record reasons therefor. An order passed under this sub-section shall be final.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(a) "local authority", in relation to a local area, means an authority constituted or designated for, or entrusted with the function of, planned development of that area and includes an Urban Improvement Trust constituted under the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), the Jaipur Development Authority constituted under the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the Jodhpur Development Authority constituted under the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009) or a Municipality constituted under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009);

(b) "urban area" means an area falling within Jaipur region as defined in clause (8) of section 2 of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), Jodhpur region as defined in clause (8) of section 2 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009) or a municipal area as defined in clause (xxxix) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) or an area specified as such in a notification issued under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) or an area for which a local authority is constituted or designated under any law for the time being in force;

(c) "urbanisable limits" means the urbanisable limits indicated in the master plan or master development plan of a city or town prepared under any law for the time being in force and where there is no master plan or master development plan, the outer limits of the municipal area;

(d) "peripheral belt" means the peripheral belt indicated in the master plan or master development plan of a city or town prepared under any law for the time being in force and where there is no master plan or master development plan or where peripheral belt is not indicated in such plan, the area as may be notified by the State Government from time to time.".

3. Deletion of section 90-B, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- The existing section 90-B of the principal Act shall be deleted.

CHAPTER-III

Amendment in the Jaipur Development Authority Act, 1982

4. Amendment of section 54-B, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- For the existing sub-section (1) of section 54-B of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the following shall be substituted, namely:-

> "(1) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Authority under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Authority to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Authority of the urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.".

CHAPTER-IV

Amendment in the Jodhpur Development Authority Act, 2009

5. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 2 of 2009.- For the existing sub-section (1) of section 49 of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009), the following shall be substituted, namely:-

> "(1) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Authority under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Authority to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Authority of the urban

assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.".

CHAPTER-V

Amendment in the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959

6. Amendment of section 60, Rajasthan Act No. 35 of 1959.-For the existing sub-section (4) of section 60 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), the following shall be substituted, namely:-

"(4) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Trust under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Trust to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Trust of the urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.".

CHAPTER-VI

Amendments in the Rajasthan Municipalities Act, 2009

7. Amendment of section 71, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing sub-section (1) of section 71 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) Any land deemed to have been placed at the disposal of the Municipality under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be available for allotment or regularization by the Municipality to the person or persons, as the case may be, specified in that section subject to the terms and conditions prescribed, and on payment to the Municipality of the

urban assessment or premium or both leviable and recoverable, under that section.".

8. Amendment of section 337, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- The existing clause (xviii) of sub-section (2) of section 337 of the principal Act shall be deleted.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

16
Government Central Press, Jaipur.

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
वैशाख 14, सोमवार, शाके 1937–मई 4, 2015	
Vaisakha 14, Monday, Saka 1937–May 4, 2015	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 4, 2015

संख्या प. 2 (32) विधि/2/2015:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 13)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (xiii) के विद्यमान उप-खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) नगर निगम के मामले में आयुक्त;"।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 55 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (3) के विद्यमान खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) एक या अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां:

परन्तु प्रत्येक नगरपालिका, पचास वार्डों तक के लिए एक समिति, इक्यावन वार्डों से पचहत्तर वार्डों तक के लिए दो समितियां और पचहत्तर से अधिक वार्डों के लिए तीन समितियां गठित कर सकेगी;"।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18, में नयी धारा 69-क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 69 के पश्चात् और विद्यमान धारा 70 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"69-क. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना.- (1) कोई व्यक्ति जो नगरपालिक क्षेत्र के भीतर, नगरपालिका द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है, वह, विहित रीति से, नगरपालिका से पट्टाधृत अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में नगरपालिका के पक्ष में अपने अधिकारों का, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा और नगरपालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार नगरपालिका में निहित हो जायेंगे और नगरपालिका, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस और प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, धारक को उक्त भूमि का पट्टा जारी कर सकेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन जारी पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से

संलग्न थे और उप-धारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 332 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 332 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों तथा धारा 337 के अधीन बनाये गये नियमों या इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करेगी-

(i) प्रत्येक नगर निगम के लिए एक आयुक्त;

(ii) प्रत्येक नगर निगम के लिए इतनी संख्या में अपर आयुक्त या उपायुक्त, जो अवधारित की जाये;

(iii) प्रत्येक नगर परिषद् के लिए एक आयुक्त;

(iv) प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड के लिए एक कार्यपालक अधिकारी;

(v) ऐसे प्रत्येक नगर निगम या नगर परिषद्, जो आयुक्त के अतिरिक्त, सचिव नियुक्त करने का संकल्प करे, के लिए एक सचिव; और

(vi) किसी भी नाम और पदनाम से, कोई भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जो आवश्यक समझा जाये।"; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1क) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर निगम के आयुक्त की ऐसी शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन नियुक्त किये गये किसी अपर आयुक्त या किसी उपायुक्त को कर सकेगी, जैसाकि वह ठीक समझे।"।

दीपक माहेश्वरी,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, May 4, 2015

No. F. 2 (32) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 13):-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2015
(Act No. 13 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 22nd day of April, 2015]

An
Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing sub-clause (a) of clause (xiii) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(a) the Commissioner, in case of a Municipal Corporation; ".

3. Amendment of section 55, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing clause (ii) of sub-section (3) of section 55 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(ii) one or more health and sanitation committees:

Provided that every Municipality may constitute one committee for wards upto fifty, two

committees for fifty one wards to seventy five wards and three committees for wards exceeding seventy five;".

4. Insertion of new section 69-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After the existing section 69 and before the existing section 70 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**69-A. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of lease deed.-** (1) Any person who holds non-agricultural land within the municipal area otherwise than under a lease or licence issued by the Municipality may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Municipality for the purpose of obtaining lease hold rights from the Municipality and the Municipality may accept such rights.

(2) On acceptance by Municipality of rights under sub-section (1), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Municipality and the Municipality shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue the holder lease of the said land.

(3) The lease issued under sub-section (2) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Municipality of the rights under sub-section (1) .".

5. Amendment of section 332, Act No.18 of 2009.- In section 332 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the forgoing provisions of this Chapter and the rules made under section 337 or any other provision of this Chapter, the State Government shall appoint-

(i) one Commissioner for every Municipal Corporation;

(ii) such number of Additional Commissioners or Deputy

Commissioners for every Municipal Corporation as may be determined;

(iii) one Commissioner for every Municipal Council;

(iv) an Executive Officer for every Municipal Board;

(v) a Secretary for every Municipal Corporation or Municipal Council which resolves to appoint a Secretary in addition to the Commissioner; and

(vi) any other administrative officer by any name and designation as deemed necessary."; and

(ii) after sub-section (1), so amended and before the existing sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(1A) The State Government may, by notification in the Official Gazette, delegate such of the powers, functions or duties of the Commissioner of the Municipal Corporation to an Additional Commissioner or a Deputy Commissioner appointed under clause (ii) of sub-section (1), as it may think fit.".

दीपक माहेश्वरी,
Principal Secretary to the Government.

6
Government Central Press, Jaipur.